भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.:-- **Date:**30/04/2020

पालिसीधारकों और बीमाकर्ताओं को कोविड-19 से संबंधित सलाह

प्रेस विज्ञप्ति

संदर्भ सं.:-- दिनांक:30-04-2020

पालिसीधारकों और बीमाकर्ताओं को कोविड-19 से संबंधित सलाह

प्राधिकरण, “स्टैण्डर्ड फायर एण्ड स्पेशियल पेरिल पालिसी” में सामान्य शर्त के संदर्भ में भारतीय साधारण बीमा उद्योग के निर्णय का स्वागत करता है, जहाँ 28 अप्रैल, 2020 को साधारण बीमा परिषद के वेबसाइट पर कहा गया है कि जहाँ बीमाकृत के परिसर 30 दिन से अधिक अवधि तक खाली रहे हैं वहाँ पालिसियों को जारी रखा जाएगा। वर्तमान अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 25 मार्च और 3 मई, 2020 के बीच राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान खाली पडी रह गई संपत्तियों के लिए “एक बार छूट” देने का संकेत, पालिसीधारकों के हित में है। साधारण बीमाकर्ताओं को प्राधिकरण द्वारा परामर्श दिया गया है कि वे पालिसीधारकों को सूचित करें कि प्रासंगिक धारा(ए), सभी पालिसियों में 3 मई, 2020 के बाद किस तरह लागू होगी और अबाध कवरेज प्राप्त करने के लिए पालिसीधारकों को क्या कार्रवाई करने की जरूरत है। बीमाकर्ताओं को विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर तर्कसंगत और उपयुक्त तरीका अपनाना चाहिए।

बीमाकर्ताओं को प्राधिकरण द्वारा यह भी सलाह दी गयी है कि वे अपने पालिसीधारकों के संपर्क में रहें और उन्हें सामान्य रूप से, पालिसी की शर्तों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दें और उन शर्तों के बारे में बताएँ जिनसे लाकडाउन या उसके तुरंत बाद प्रभावित हो सकते हैं। वे ई-मेल, एसएमएस या अन्य डिजिटल साधनों से पालिसीधारकों से सीधे स्पष्ट और सरल भाषा में संवाद करें और सलाह दें कि उन्हें अपनी सभी बीमा पालिसियों के अबाध कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए ठीक समय पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए।

पालिसीधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी बीमा पालिसियों के नियम और शर्तों को ध्यान से पढें और यदि वे या उनकी बीमाकृत संपत्तियाँ, ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ आने-जाने पर लंबे समय तक प्रतिबंध रहने की संभावना है तो वे पालिसी की शर्तों से अवगत रहें।

पालिसीधारक, बीमाकर्ताओं से सीधे संपर्क में रहें या उन एजेंटों या मध्यवर्तियों की सहायता लें, जिनके माध्यम से उन्होंने बीमा पालिसियाँ प्राप्त की हैं। बीमाकर्ता, एजेंट और मध्यवर्ती जिन्होंने व्यापार किया उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कठिन दौर में पालिसीधारकों को यथोचित मार्गदर्शन मिलता है, मिलजुल कर काम करें।